[2021] 10 एस. सी. आर. 1022

हरि और ए. एन. आर.

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 186)

26 नवंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

एसएस। 147 , 302/149 , 323/149 , 324/149 और 201/149-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

- – एस। 3 (3) (10) – ऑनर किलिंग से जुड़ा मामला-जाट लड़की जाटव लड़के से शादी करना चाहती थी जिससे जाट समुदाय नाराज हो गया-जाट लड़की

और जाटव लड़का एक अन्य जाटव लड़के के साथ जो उनके साथ था, जाति-ग्रस्त सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अभियुक्तों द्वारा 12 घंटे तक शारीरिक रूप से हमला किया गया और हत्या कर दी गई-54 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया-निचली अदालत

35 व्यक्तियों को यू/एस एस के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। 147 , 302 / 149 , 323/149 , 324/149 और 201/149 और s। 3 (3) (10) एससी/एसटी अधिनियम के तहत और उनमें से आठ को मौत की सजा सुनाई गई-हालांकि,

उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया-ऑन

बिना किसी विरोध के लगभग 12 घंटे तक लगातार पंचायत अभियोजन पक्ष के बयान को समर्थन देती है-उच्च न्यायालय द्वारा शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही के प्रासंगिक हिस्से पर सही भरोसा किया गया है-सूचना देने वाला जो किसी गंभीर अपराध को देखने के आघात के कारण शामिल लोगों के सभी नामों का उल्लेख करने में सक्षम नहीं है, उसे स्वीकार किया जाता है मृतक के कपड़ों की बरामदगी, आधे जले हुए शरीर की बरामदगी पीड़ित के शवों को जलाने के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन करती है-इस प्रकार, हत्या संदेह से परे स्थापित हुई-अदालतें

नीचे अभियुक्त यू/एस को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। 302 एस की सहायता से। 149 - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है, सिवाय उन तीन लोगों के जिन्हें उनकी पहचान में अस्पष्टता को देखते हुए बरी कर दिया जाता है-साक्षय साक्षय-गवाह।

एस. 149 - गैरकानूनी सभा-प्रत्यावर्ती दायित्व यू/एस। 149 - आयोजित किया गया: एस. 149 उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए कार्यों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जो सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाएंगे, किसी गैरकानूनी सभा के सदस्यों के प्रत्यावर्ती दायित्व की घोषणा करता है-अभियोजन को प्रत्येक सदस्य की भागीदारी को विशेष रूप से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

किस या किस कार्य के संबंध में-जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति के सामान्य इरादे का संकेत दे सकती है, गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक दायित्व को बढ़ा सकती है। 149 .

एस. 149 – गैरकानूनी सभा-एक सभा का सामान्य उद्देश्य-आयोजित: सामान्य उद्देश्य सामान्य इरादे से अलग होता है क्योंकि यह

हमले से पहले एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की एक आम बैठक की आवश्यकता नहीं होती है-यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही हो और उनकी संख्या पांच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करें-एक सभा का सामान्य उद्देश्य होना है

इसकी रचना करने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से, आसपास की परिस्थितियों और सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से पता लगाया जाता है।

गवाह:

शत्रुतापूर्ण गवाह-साक्षय मूल्य-आयोजित: शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्षय का एक हिस्सा जो विश्वसनीय है, आपराधिक मुकदमे पर कार्रवाई की जा सकती है।

गवाह संरक्षण योजना का कार्यान्वयन-गवाहों के अधिकारों की रक्षा के लिए योजना/दिशानिर्देश/कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है।

भारत का संविधान:

कला. 136 - विशेष अनुमति-शासी सिद्धांतों-द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप बताया गया है।

कला. 19 (1) ((क) और कला। 21 जीवन का अधिकार-लोगों को गारंटीकृत जीवन के अधिकार में [2021] 10 एस. सी. आर. में रहने का अधिकार भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक ऐसा समाज जो अपराध और भय से मुक्त हो, और गवाहों को बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अदालतों में गवाही देने का अधिकार हो।

- यदि कोई धमकी या अन्य दबावों के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह कला का स्पष्ट उल्लंघन है। 19 (1) ((क) और कला। 21 - गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है

राज्य द्वारा उचित संरक्षण-मामले, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जैसे कि वे कम से कम सत्ता में रहने वालों, राजनीतिक संरक्षण से जुड़े संवेदनशील मामलों में अदालत में सच्चाई को सुरक्षित रूप से पेश कर सकें।

ऑनर किलिंग: निवारक कदम, उपचारात्मक और दंडात्मक

ऑनर क्राइम से निपटने के उपाय-शक्ति वाहिनी के मामले में दिए गए सुझाव में कहा गया है।

जातिवाद: जातियों के नाम पर अत्याचार

-

जाति-ग्रस्त सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 12 घंटे तक शारीरिक रूप से हमला करके तीन युवाओं की नृशंस हत्या-आयोजित: ऑनर किलिंग के प्रकरणों से पता चलता है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद का सफाया नहीं हुआ है-ऐसी जाति-आधारित प्रथाओं द्वारा कायम कट्टरता अपने सभी नागरिकों के लिए समानता के संविधान के उद्देश्य को बाधित करती है-नागरिक समाज के लिए जाति के नाम पर किए गए भयानक अपराधों के बारे में कड़ी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया करने और प्रतिक्रिया देने का सही समय है।

न्याय प्रशासन: आपराधिक न्याय का प्रशासन

- नस्लीय और धार्मिक रूप से प्रेरित अपराध, यदि माना जाए

बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तेजक कारक-विदेशी कानून-संयुक्त ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम भारतीय कानूनों पर चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1.1 स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अदालतों में गवाही देने का अधिकार

बिना किसी दबाव और खतरे के जो कुछ भी गंभीर स्थिति में है

आज हमला। यदि कोई धमकी या अन्य दबावों के कारण अदालतों में गवाही देने में असमर्थ है, तो यह कला का स्पष्ट उल्लंघन है। 19 (1) ((क) और

कला. 21 संविधान से। लोगों को जीवन के अधिकार की गारंटी

इस देश में अपराध और भय से मुक्त समाज में रहने का अधिकार और बिना किसी भय या दबाव के अदालतों में गवाही देने के लिए गवाहों का अधिकार भी शामिल है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का एक मुख्य कारण यह है कि उन्हें राज्य द्वारा उचित सुरक्षा नहीं दी जाती है। यह एक कठोर वास्तविकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां हरि और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य

अभियुक्त व्यक्तियों/अपराधियों पर जघन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, या जहाँ अभियुक्त व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति हैं या प्रबल स्थिति यह है कि वे गवाहों को आतंकित करने या डराने का प्रयास करते हैं जिसके कारण ये गवाह या तो अदालतों में आने से बचते हैं या सच्चाई से गवाही देने से बचते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस कारण से बनी हुई है कि राज्य ने इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए हैं, जिन्हें आमतौर पर "गवाह सुरक्षा" के रूप में जाना जाता है। [पैरा 28] [1046-बी-ई]

1.2 राज्य की रक्षा करने में एक निश्चित भूमिका है

गवाहों की सुरक्षा के लिए योजना/दिशा-निर्देश/कार्यक्रम। साक्षी सुरक्षा योजना को उस समय लागू करना जब वर्तमान मामले में गवाह गवाही दे रहे थे, अभियोजन पक्ष के गवाहों को शत्रुतापूर्ण होने से रोक दिया है। यदि भौतिक गवाहों को गाँव से स्थानांतरित कर दिया जाता और अदालत कक्ष में ले जाया जाता, तो वे अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देते। [पैरा 31] [1047-सी]

महेंद्र चावला और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2019) 14 एससीसी 615 [2018] 14 एससीआर 627; ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्य। (2006) 3 एससीसी 374: [2006] 2 एससीआर 1081; अश्विन कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और एएनआर। (2020) एससीसी

ऑन लाइन एससी 1228 का उल्लेख किया गया है।

2.1 आई. पी. सी. की धारा 149 में किए गए कार्यों के लिए गैरकानूनी सभा के सदस्यों के प्रत्यावर्ती दायित्व की घोषणा की गई है।

उस सभा के सामान्य उद्देश्य का अभियोजन या ऐसे अपराधों के लिए जिन्हें गैरकानूनी सभा के सदस्य जानते थे, उस उद्देश्य के अभियोजन में किया जाएगा। यदि एक गैरकानूनी सभा एक अपराध करने के सामान्य उद्देश्य के साथ बनाई गई है, और यदि वह अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा उद्देश्य के अभियोजन में किया गया है।

गैरकानूनी सभा के सदस्य, सभा के सभी सदस्य उस अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे, भले ही एक या अधिक, लेकिन सभी ने अपराध नहीं किया हो। पुनः, यदि किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है और वह अपराध वह है जिसे गैरकानूनी सभा के सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में जानते थे, तो प्रत्येक सदस्य जिसे यह जानकारी थी वह इस तरह से किए गए अपराध का दोषी होगा। अभियोजन पक्ष के लिए प्रत्येक को साबित करना आवश्यक नहीं है विशेष रूप से किस या किस कार्य के संबंध में सदस्यों की भागीदारी। जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति के सामान्य इरादे का संकेत दे सकती है, गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति धारा 149 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक दायित्व को बढ़ा सकती है। [पैरा 35] [1048-सी-एफ]

मसाला वी। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एस. सी. आर. 133; शंभू नाथ सिंह बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725; लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 437: [1989] 1 एससीआर 130 -

संदर्भित किया गया।

2.2 सामान्य उद्देश्य सामान्य इरादे से अलग है क्योंकि इसके लिए पूर्व संगीत कार्यक्रम और आम सभा की आवश्यकता नहीं होती है।

हमले से पहले दिमाग। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु हो और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संयोजन के रूप में कार्य करें। एक सभा का सामान्य उद्देश्य इसकी रचना करने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना है। यह सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है।

[पैरा 36] [1048-जी; 1049-ए]

चरण सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 205: [2004] 2 एससीआर 925; कट्टुकुलंगरा माधवन (मृत) के माध्यम से

एल. आर. वी. मजीद और ओआरएस। (2017) 5 एससीसी 568: [2017] 4

एस. सी. आर. 658 संदर्भित है।

हरि और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य

3.1 उच्च न्यायालय ने पाया कि विरोधाभास और

चार चश्मदीद गवाहों के बयानों में दिखाई गई विसंगतियां तुच्छ प्रकृति की थीं। उच्च न्यायालय ने उन अंतर्विरोधों और विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया जो अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को प्रभावित नहीं करते थे। उच्च न्यायालय ने

उपस्थिति/प्रत्यक्ष गवाही देने वाले कम से कम दो गवाहों के फार्मूले को खारिज करने में ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया

उस मामले में अभियुक्त का कार्य जिसमें बड़ी संख्या में अभियुक्त शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जिसकी उपस्थिति/भागीदारी केवल एक गवाह द्वारा बोली गई थी। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सुस्थापित कानून के अनुसार, अपराध करने और अपीलार्थी की संलिप्तता से संबंधित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों की इस न्यायालय द्वारा आगे जांच नहीं की जा सकती है। साक्षय का नया मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि समवर्ती निष्कर्षों से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई झुकाव नहीं है क्योंकि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा साक्षय का मूल्यांकन गलत नहीं है। [पैरा 20] [1041-जी-एच; 1042-ए-डी]

एम. पी. राज्य बनाम रमेश (2011) 4 एससीसी 786: [2011] 5 एस. सी. आर. 1; मसाला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एससीआर 133; कौर सैन बनाम। पंजाब राज्य (1974) 3 एससीसी 649: [1974] 2

एस. सी. आर. 393 संदर्भित है।

3.2 पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-13, पी. डब्ल्यू.-14 और पी. डब्ल्यू.-15 के साक्षय से, जो चश्मदीद गवाह हैं, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्षय, और

दस्तावेजी साक्षय से यह साबित होता है कि आर. के., वी. और आर. को प्रताड़ित किया गया और फिर फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। इसके बाद उनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया। चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय है और नीचे की अदालतों द्वारा उचित रूप से स्वीकार की गई है। मृतक आर. के. के कपड़ों की बरामदगी, वी. के कपड़ों की बरामदगी,

निम्न न्यायालयों ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-13, पीडब्लू-14 और पीडब्लू-15 पर विश्वास किया। उन्होंने अपीलार्थियों की संलिप्तता के बारे में बताया है और उनमें से कुछ को विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया। भूमिका.

गवाहों द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को सौंपे गए दस्तावेज़ चार्ट में बताए गए हैं। [पैरा 22] [1044-ई-जी] [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.3 उच्च न्यायालय की राय थी कि पीडब्लू1 के साक्षय को केवल आधार पर विचार से नहीं हटाया जा सकता है

कि वे शत्रुतापूर्ण हो गए। पी. डब्ल्यू. 1 सहित अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों को मुकर जाने के लिए प्रेरित करने वाले सम्मोहक कारणों को दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही के प्रासंगिक हिस्से पर सही ढंग से भरोसा किया। [पैरा 23] [1045-ए-बी] 3.4 अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्षय को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उन्हें शत्रुतापूर्ण मानने और उनसे जिरह करने का विकल्प चुना है। ऐसे गवाहों के साक्षय को मिटाया हुआ या पूरी तरह से रिकॉर्ड से धोया हुआ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे इस हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनका बयान उसकी सावधानीपूर्वक जांच पर निर्भर करने योग्य पाया जाए। यह तथ्य के न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में विचार करना है कि क्या इस तरह की प्रतिपरीक्षा और विरोधाभास के परिणामस्वरूप, गवाह पूरी तरह से बदनाम है या फिर भी उसकी गवाही के एक हिस्से के संबंध में विश्वास किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश को पता चलता है कि इस प्रक्रिया में, गवाह का श्रेय पूरी तरह से हिल नहीं गया है, तो वह गवाह के साक्षय को पढ़ने और उस पर विचार करने के बाद, पूरी सावधानी और सावधानी के साथ, रिकॉर्ड पर अन्य साक्षय के आलोक में, गवाही के उस हिस्से को स्वीकार कर सकता है जिसे वह स्वीकार करता है।

श्रेयस्कर पाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। भले ही गवाह मुकर गए हों, उनके साक्षय को स्वीकार किया जा सकता है, यदि वे हैं

प्राकृतिक और स्वतंत्र गवाह हैं और उनके पास आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। [पारस 25,26] [1045-डी-जी]

राधा मोहन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 2 एससीसी 450: [2006] 1 एस. सी. आर. 519; सैयद अकबर बनाम। कर्नाटक राज्य ए. आई. आर 1979 एस. सी. 1848 [1980] 1 एस. सी. आर. 95; मृणाल दास

और अन्य वी। त्रिपुरा राज्य (2011) 9 एससीसी 479: [2011]

14 एस. सी. आर. 411 संदर्भित है।

3.5 तत्काल मामले में, पीडब्लू1 के साक्षय को पीडब्लू13, पीडब्लू14 और पीडब्लू15 के साक्षय से पूर्ण पुष्टि मिलती है जो

घटना के विश्वसनीय चश्मदीद गवाह भी हैं। पीडब्लू1 की गवाही अडिग है और यह लंबे समय तक रहने के बाद ही थी। 6 साल तक पीछा किया, कि वह शत्रुतापूर्ण हो गई। निचली अदालतें पी. डब्ल्यू. 1 की गवाही पर भरोसा करने में सही थीं, जो एक विश्वसनीय गवाह भी है, आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि के लिए, उसे शत्रुतापूर्ण घोषित किए जाने के बाद भी। [पैरा 27] [1046-ए-बी] हरि और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य

4.1 सूचना देने वाले द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि जब उसने शिकायत दी तो वह उचित मानसिक स्थिति में नहीं था और वह अगले दस दिनों तक अस्पताल में था, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर रहा था, जिन पर शारीरिक हमला किया गया था और उसके बाद ही वह बाकी अभियुक्तों के नाम बता सकता था, नीचे की अदालतों द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था। पीडब्लू-15-मुखबिर गाँव की अच्छी तरह से संरक्षित सीमाओं से बचने में कामयाब रहा।

मृतक व्यक्तियों को रात भर लगभग 12 घंटे तक प्रताड़ित किया गया और शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वह एक भयानक घटना को देखने के आघात के कारण शामिल लोगों के सभी नामों का उल्लेख नहीं कर पाए होंगे। अपराध जिसके परिणामस्वरूप उसके भतीजे और दो अन्य व्यक्तियों की हत्या हो गई। [पैरा 32] [1047-ई-जी]

4.2 पीडब्लू-1, पीडब्लू-13, पीडब्लू-14 और पीडब्लू-15 के साक्षय की जांच करने पर न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी चार

12 घंटे से अधिक। गवाहों के बयान में विसंगतियां स्वाभाविक हैं, खासकर जब बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। [पैरा 33] [1047-जी-एच; 1048-ए-बी] 4.3 तीनों मृतकों की दर्दनाक यातना जो रात 9 बजे शुरू हुई और पंचायत में अपीलार्थी की भागीदारी के साथ अगले दिन सुबह 9 बजे तक जारी रही, चश्मदीद गवाहों की गवाही से साबित हुई। कुछ अपीलकर्ताओं-बी, जी, सी. एस., पी, एम, जे, बी. सी., के, आर. एस., आर. को मृतक को अपने घरों से एम की पंचायत में घसीटने के लिए; अपीलकर्ता के. एस., आर. एस. को मृतक और उनके परिवार के सदस्यों पर शारीरिक हमला करने के लिए; अपीलकर्ता बी. सी., के., आर., एम को मृतक के माता-पिता को फांसी देने के लिए मजबूर करने के लिए; अपीलकर्ता एन., जी., पी., एम., एन., बी. टी., जे., बी. सी., के., आर. एस., एस. सी. को मृतक को फांसी देने में शामिल होने के लिए; अपीलकर्ता बी. टी., जे. को मृतक के शवों को घसीटने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

श्मशान घाट में मृतक और अपीलार्थी बीटी, जे, बीसी, केएस,

श्मशान घाट पर मृतक के शवों में आग लगाने के लिए एस। निचली अदालतों ने आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से अपीलार्थियों को धारा 302 के तहत दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की। यहां तक कि उन लोगों के संबंध में भी जिन्हें कोई सक्रिय भूमिका या स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने सामान्य उद्देश्य [2021] 10 एस. सी. आर. साझा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मृतक को दंडित करने और उन्हें मारने के लिए। में उनकी उपस्थिति

बिना किसी विरोध या हिंसा को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास के बिना लगभग 12 घंटे तक लगातार पंचायत अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन करेगी कि सभी अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था। [पैरा 38] [1050-ए-ई] 5.1 जाति का उल्लंघन करने के आरोप में दो युवाओं और एक महिला पर लगभग 12 घंटे तक शारीरिक हमला किया गया और आरोपी ने उनकी हत्या कर दी।

रूखे सामाजिक मानदंड। देश में जाति-प्रेरित हिंसा की ये घटनाएं इस तथ्य को दर्शाती हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद का सफाया नहीं हुआ है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, अंतर-जातीय विवाह समानता प्राप्त करने के लिए जातिवाद से छुटकारा पाने का एक उपाय है। सभी वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए उनकी दृष्टि

समाज, विशेष रूप से दमित वर्गों के लिए, संविधान की प्रस्तावना में अच्छी तरह से निहित है। ऐसी जाति-आधारित प्रथाओं द्वारा कायम कट्टरता जो आज भी प्रचलित है, अपने सभी नागरिकों के लिए समानता के संविधान के इस उद्देश्य को बाधित करती है। जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आर द्वारा विवाह का प्रस्ताव, वी जो एक जाटव है, उनकी मृत्यु का कारण बना है। हालाँकि संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इस देश में ऑनर किलिंग बंद नहीं हुई है और यह सही समय है कि नागरिक समाज जाति के नाम पर किए गए भयानक अपराधों के बारे में कड़ी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया करे। इस अदालत ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के कई निर्देश जारी किए। खाप पंचायतों के आदेश के अनुसार ऑनर किलिंग की इस न्यायालय द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। जातियों के नाम पर अत्याचार करने वाले क्रूर और सामंती दिमाग वाले व्यक्तियों को कठोर सजा देने की सिफारिश की गई थी। भारत के विधि आयोग ने अपनी 242 वीं रिपोर्ट में रोकथाम पर कानूनी ढांचे का सुझाव दिया

या विवाह योग्य आयु के युवाओं के अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने के आचरण पर आपत्ति करने और उसकी निंदा करने के उद्देश्य से सभा, आपत्ति का आधार यह है कि वे एक ही गोत्र या विभिन्न

जातियों या समुदायों से संबंधित हैं। द. पंचायतदारों या जाति के बुजुर्गों को हरि और ए. एन. आर. में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य

उद्देश्य अर्थात। उस विवाह को अस्वीकार करना जो अन्यथा भीतर है कानून की सीमाओं और परिणामी कार्रवाई करने को एक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें संबंधित व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को खतरे में डालने की क्षमता है। [पैरा 39] [1050-एफ-एच; 1051-ए-ई]

शक्ति वाहिनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2018) 7 एससीसी

192 [2018] 3 एस. सी. आर. 770-पर निर्भर।

अरुमुगम सर्वई बनाम। तमिलनाडु राज्य (2011) 6 एससीसी

405 [2011] 5 एस. सी. आर. 488;-संदर्भित।

5.2 तीन युवाओं की नृशंस हत्याएं, जो कि ऑनर किलिंग हैं, स्पष्ट रूप से अपराध की असामाजिक और घृणित प्रकृति के सिर के नीचे आती हैं। [पैरा 46] [1059-बी]

माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470:

[1983] 3 एस. सी. आर. 413 संदर्भित है।

6.1 याचिकाकर्ता टी. एस., के., एस., बी. सी., आर. एस., आर. और के. को निचली अदालत ने नृशंस हत्याओं के लिए मौत की सजा सुनाई थी। बर्बर तरीके से तीन युवाओं का। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की मौत की सजा को उनकी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास में बदल दिया। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए दिए गए कारण कुछ अपीलार्थियों की अग्रिम आयु, अपराध करने के बाद लंबे समय तक गुजरने और मानसिक पीड़ाएं हैं जिनसे वे गुजरे हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त के संबंध में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया है। [पैरा 47] [1059-सी-ई]

6.2 उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है और आरोपी डी. एच. पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। एनटी, एसआर, टीजे, बीसी, केएम, आरएम, आरएन, एसआर, एमएच, सीएच, पीटी, बीटी, जेवी, केआर, एमएन, जीएन, डीएच, बीएल, डीआर, एमएन, केएस, डीएम। अभियुक्त एच, एलएस और जी को उनकी पहचान में अस्पष्टता को देखते हुए बरी कर दिया जाता है।

[पैरा 50] [1060-डी-एफ] [2021] 10 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दलबीर कौर बनाम। पंजाब राज्य (1976) 4 एससीसी 158: [1977]

1 एस. सी. आर. 280; रमणीकलाल गोकलदास बनाम। गुजरात राज्य

(1976) 1 एस. सी. सी. 6; दुली चंद बनाम। दिल्ली प्रशासन। (1975) 4

एस. सी. सी. 649; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2

एस. सी. सी. 684; मसाल्ती बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 1964 (8) एससीआर 133 - संदर्भित किया गया।

विस्कॉन्सिन बनाम। मिचेल [508 यूएस 476 (1993)]-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1977] 1 एससीआर 280

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

(1976) 1 एससीसी 6

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

(1975) 4 एस. सी. सी. 649

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[2011] 5 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[1964] 8 एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 20,35,

[1974] 2 एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2006] 1 एससीआर 519

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1980] 1 एससीआर 95

पैरा 25

संदर्भित किया गया है

[2011] 14 एससीआर 411

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2018] 14 एससीआर 627

पैरा 28,30

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 1081

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

आकाशवाणी 1960 एससी 725

पैरा 35

[1989] 1 एससीआर 130

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[2004] 2 एससीआर 925

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2017] 4 एससीआर 658

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[2011] 5 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2018] 3 एससीआर 770

पर भरोसा किया।

पैरा 40,41

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1983] 3 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा 45,46 हरि

और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2018 का सं. 186।

2011 के आपराधिक मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 31.05.2016 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 190-192 , 188 , 1553-1556 , 189 , 187 2018 और आपराधिक अपील सं। 1503 और 2021 का 420।

श्रीमती अमिता गुप्ता, संजय कुमार त्यागी, पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, विवेक त्रिपाठी, वाई. लोकेश, सुश्री वी. कीर्तन, पंकज

अग्रवाल, सी. एस. एन. मोहन राव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री गरिमा प्रसाद, ए. ए. जी., विष्णु शंकर जैन, सुश्री मारबियांग एन. खोंगवीर, पार्थ यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एल. नागेश्वर राव, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. दिनांक 14.11.2011 के एक निर्णय द्वारा, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित व्यक्तियों को धारा 147,302 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया

भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 149 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एस. सी./एस. टी. अधिनियम) की धारा 3 (3) (10) के साथ पठित धारा 149,324 के साथ पठित धारा 149 और 201 के साथ: -

रतन सिंह के पुत्र धन्नी, केरोरी के पुत्र तेज सिंह, कन्हयालाल के पुत्र धरमवीर, मणिराम के पुत्र शिवचरण, मणि के पुत्र सिंह राम। राम, मंगतू के पुत्र महेंद्र, किशनलाल के पुत्र बल्ली, कल्लू के पुत्र धरम, भावर सिंह के पुत्र निर्तो, नाबली के पुत्र बच्चू, हरिओम के पुत्र गोपी, भंवर सिंह के पुत्र तुलसी राम, कन्हया के पुत्र कमल, दयराम के पुत्र राम सिंह, भागगो के पुत्र जीवन, कमर के पुत्र गिरराज, भावर सिंह के पुत्र काशी, लाल सिंह के पुत्र चत्तर सिंह, दयराम के पुत्र करण, नारायण के पुत्र नवल सिंह, इंदर के पुत्र दया राम, लीला के पुत्र हरचंद, सुंदर लाल के पुत्र मंगतू, दयराम के पुत्र

भावर सिंह, हरचंडी का पुत्र धरम, मन्नी का पुत्र सिरो, भागगो का पुत्र बाटो, नवल का पुत्र प्रीतम, दीपचंद का पुत्र श्रीचंद, नाथी का पुत्र दीपी उर्फ दीपचंद, महाराज सिंह का पुत्र हरचंडी, यादराम का पुत्र हरिराम, हीरालाल का पुत्र गंगाराम, गोविंदा का पुत्र हरि और खुशिराम का पुत्र लालसिंह।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. अपीलकर्ता-अभियुक्त रतन सिंह का पुत्र धन्नी, कन्हाया का पुत्र धरमवीर, मणिराम का पुत्र शिवचरण, सिंहराम।

4. अपीलकर्ताओं-किरोड़ी के पुत्र तेज सिंह, नाबाली के पुत्र बच्चू, भावर सिंह के पुत्र तुलसी राम, कन्हाया के पुत्र कमल, दयराम के पुत्र राम सिंह, रूपी के पुत्र रमन, दयराम के पुत्र करण, भजनी के पुत्र सिरो को धारा 1 के तहत मौत की सजा सुनाई गई। आईपीसी.

5. उपरोक्त नामित दोषी व्यक्तियों द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। हालांकि, तेज सिंह और 7 अन्य को दी गई मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त आपराधिक याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अपीलें करें।

किरोड़ी के पुत्र तेज सिंह, नाबाली के पुत्र बच्चू, भावर सिंह के पुत्र तुलसी राम, कन्हाया के पुत्र कमल, दयराम के पुत्र राम सिंह, रूपी के पुत्र रमन, दयराम के पुत्र करण, भजनी के पुत्र सिरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलों के लंबित रहने के दौरान, भावर सिंह के पुत्र तुलसी राम निधन हो गया।

7. 27.03.1991 पर 11.40 बजे, अमीचंद (पीडब्लू-15) द्वारा पुलिस स्टेशन, बरसाना में दिए गए बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि गंगा राम की बेटी रोशनी विजेंद्र के साथ भाग गई थी

21.03.1991 पर श्यामा जाटव का बेटा और उनके साथ हरि और ए. एन. आर. थे।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

महाराम के पुत्र राम किशन। वे 24.03.1991 पर गाँव लौट आए। आई. डी. 1 पर रात 9 बजे मंगतू पुत्र सुंदर लाल, प्रीतम पुत्र नवल सिंह, छतर पुत्र लाल सिंह, गिरराज पुत्र कंवर सिंह बागेरा ने राम किशन और विजेंद्र को उनके परिवार के सदस्यों के साथ जबरन ले लिया। पंचायत में भाग लेने के लिए। रोशनी जाट थीं और विजेंद्र और राम किशन जाटव थे। रोशनी ने कहा कि वह विजेंद्र से शादी करना चाहती थी और उसके साथ रहना चाहती थी, जिससे जाट समुदाय के लोग नाराज हो गए।

8. नवल पुत्र नारायण, पूर्ण पुत्र चंदन सिंह, दीप चंद पुत्र सुंदर लाल, दयराम पुत्र सुंदरलाल, मंगतू पुत्र सुंदर लाल, रमन।

एस/ओ रूपी, कमल एस/ओ कन्हैय्या, अमर सिंह एस/ओ दया राम, राम सिंह एस/ओ दया राम, धन्नी एस/ओ रतन सिंह, हरि एस/ओ याद्, बट्टारी एस/ओ नंद राम, बाल किशन एस/ओ मान सिंह, दीपी एस/ओ नाथी, बैराम एस/ओ दीप चंद, बच्चू एस/ओ नाबाली, तेज सिंह एस/ओ करोरी, गंगा एस/ओ हीरालाल, पापू एस/ओ गंगा राम, बाटो एस/ओ भागगो, जीवन एस/ओ भागगो, लाल सिंह एस/ओ यादराम, राम सिंह एस/ओ हंडू, धरमवीर एस/ओ काना

पंचायत के दौरान जाट जाति के लेहरी पुत्र, भंवर सिंह पुत्र, लाल सिंह पुत्र, गुलतिया नंद राम पुत्र आदि उपस्थित थे। मंगतू, रमन, कमल, बच्चू, बाटो, गुटिया और अन्य लोगों ने पंचायत के दौरान विजेंद्र और राम किशन पर शारीरिक हमला किया जो रात 9 बजे बुलाई गई थी और अगले दिन सुबह 5 बजे तक जारी रही। विजेंद्र और राम किशन को उल्टा लटका दिया गया और उनके गुप्तांग जला दिए गए। मंगतू, नवल, हरचंडी, तुलसी और पंचायत के अन्य सदस्यों ने पंचायत के सर्वसम्मत विचार की घोषणा की कि विजेंद्र और राम किशन को फांसी दी जानी चाहिए। विजेंद्र, राम किशन और रोशनी को राधे श्याम जोगी के घर के पास बरगद के पेड़ पर ले जाया गया और तीनों युवाओं के माता-पिता को अपने बच्चों के गले में फंदा लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विजेंद्र और राम किशन के माता-पिता पर शारीरिक हमला किया गया जब उन्होंने अपने बच्चों को फांसी देने से इनकार कर दिया और अंततः उन्हें रस्सियों पर हाथ रखकर और खींचकर जबरन फांसी पर लटका दिया गया। विजेंद्र, राम किशन और उनके शव

रोशनी को तब श्मशान घाट ले जाया गया और सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच 27.03.1991 पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पंचायत के दौरान रात 9 बजे से अगले दिन सुबह तक 27.03.1991 पर दाह संस्कार होने तक किसी को भी गाँव से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। किसी तरह, अमीचंद दाह संस्कार के बाद गाँव से भाग गया और शिकायत दर्ज कराने के लिए बरसाना के पुलिस स्टेशन पहुंचा।

शिकायत में, पीडब्लू-20, एस. आई. कृपाल सिंह राठी, पुलिस स्टेशन बरसाना, घटना स्थल पर पहुंचे और श्मशान घाट पर चिता को बुझा दिया। उन्होंने मांस और हड्डियों के शेष टुकड़े एकत्र किए और अंतिम संस्कार स्थल से एक लुंगी और मृतक विजेंद्र की घड़ी बरामद की। पीडब्लू 14 हुकुम सिंह के बयान के आधार पर दया राम और अन्य सहित 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और मृतक विजेंद्र और राम किशन के घायल परिवार के सदस्यों को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया। 9. 54 अभियुक्त

व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत आरोप लगाए गए थे। मुकदमे के दौरान, आवेदन दायर किए गए थे

उन मामलों का समेकन जिसमें उच्च न्यायालय ने 1992 में मुकदमे पर रोक लगा दी थी जो 1998 तक कायम रहे। अभियोजन पक्ष द्वारा 20 गवाहों से पूछताछ की गई और बचाव पक्ष द्वारा 4 गवाहों को पेश किया गया। जब 1998 में मुकदमा फिर से शुरू हुआ, तो अभियोजन पक्ष के 20 गवाहों में से 12 मुकर गए।

10. राम किशन की माँ, पीडब्लू-1 शांति की शुरुआत में 09.04.1992 पर जाँच की गई थी। उसने बताया कि रात 9 बजे नवल सिंह, प्रीतम, गिरराज, भगंतु, दयराम, राम सिंह, रमन, बच्चू, हरि राम, गुटिया, बटेश, लाल, हंडू का बेटा राम सिंह, दया राम पुत्र सुस्से, बिली, चटर, हरचंद, राजेंद्र, हरचंडी, बागले, कमल उसके घर आए और जबरन राम किशन को ले गए। उनके पति महाराम और

उनके बेटे विजय सिंह ने उनका पीछा किया। वह मंगतू के कमरे में भी गई जहाँ दया राम ने उसे लाठी से मारा जिससे उसके दो दांत टूट गए। उसने अपदस्थ कर दिया कि राम किशन को कमरे में उल्टा लटका दिया गया था। विजय सिंह को भी दो-तीन बार लाठी से मारा गया।

भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ा गया और मंगतू के कमरे में बंद कर दिया गया। अपने बच्चों की यातना को देखने में असमर्थ, पीडब्लू-1 अपने घर वापस चली गई। अगले दिन सुबह, उसकी बहन के बेटे ने बताया कि आरोपी व्यक्ति राम किशन को फांसी पर लटका रहे थे। वह बरगद के पेड़ तक पहुँच गई जहाँ वह

प्रीतम, नवल सिंह, मंगतू, दया राम, दीप चंद, अमर सिंह, राम सिंह, रमन, कमल, धानी, हरि राम, गुटिया, बच्चू, जीवन, दीपी, राम सिंह, स/ओ हांडू, दया राम, बिली चत्तर, हरचंद, धरम चंद, परभी। मंगतू और नवल सिंह ने राम किशन के गले में एक रस्सी कस ली जिसे बाटो, रमन, निर्तो ने खींचा।

बच्चू, कमल और अमर। विजेंद्र और रोशनी को भी फांसी दे दी गई। इसके बाद राम किशन, विजेंद्र और रोशनी का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने मंगतू, दीप चंद, दया राम पुत्र अमर सिंह, राम की पहचान की।

सिंह, गुड्ड, बच्चू, निर्तो, रमन, तुलसी राम, हरि राम, पप्पु, गंगा हरि और ए. एन. आर।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

राम, नवल सिंह, प्रीतम और हरचंदी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश के खाली होने के बाद, उसका साक्षय 21.02.1998 पर दर्ज किया गया था, जिसके दौरान वह मुकर गई।

11. पीडब्लू-13, विश्राम विजेंद्र के भाई हैं। उन्होंने राम किशन और विजेंद्र को जबरन पंचायत ले जाने के संबंध में पीडब्लू-1 शांति द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि की। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि रोशनी

को भी पंचायत में बुलाया गया था। उन्होंने नवल सिंह, पूर्णा, दीप चंद, मंगतू, दया राम, कमल, रमन, अमर सिंह, राम सिंह, नाथी, गोतरी, हरकिशन, दीपू, बैराम, बच्चू, गंगा राम, पप्पु, बातू, जीवन, राम जी लाल, राम सिंह, धरमवीर, डुली, दया राम, हरचंद, प्रीतम, गिरराज, हरचंडी, तुलसी, चटर, भंवर सिंह, नेतो, गुटिया, श्याम, धरम, काशी, सो मन्नी, हरि सो कल्लू, कन्नी सो नट्टी, भारती, श्री द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राम किशन, विजेंद्र और रोशनी को फांसी पर लटका दिया गया और बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि विजेंद्र की मृत्यु फांसी के कारण नहीं हुई थी और उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने अदालत में गवाही दी कि उन्हें भी पीटा गया था और स्पष्ट रूप से नवल सिंह के नामों का उल्लेख किया।

अगले दिन सुबह और राम किशन, विजेंद्र और रोशनी की फांसी और दाह संस्कार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सबूतों की पुष्टि की पीडब्लू-1. उन्होंने अदालत के समक्ष उनके घर और पंचायत में उनकी पिटाई किए जाने और गांव की सीमाओं की रक्षा जाट जाति के लोगों द्वारा किए जाने के बारे में गवाही दी, जिन्होंने अनुमति नहीं दी थी

घटना के दौरान किसी को भी गाँव छोड़ना।

13. पीडब्लू-15, अमीचंद राम किशन के चाचा हैं और पहले मुखबिर थे जिन्होंने अपराध का विशद विवरण दिया। उन्होंने कहा कि वे मांगटू के थेरावी भोज में भाग लेने के लिए गाँव महराना आए थे। माँ। उन्होंने 27.03.1991 [2021] 10 एस. सी. आर. पर अपनी शिकायत में 35 लोगों के नाम दिए।

और बाद में, 19 अन्य व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा 04.04.1991 पर प्रस्तुत किए गए। अपने साक्षय में, पीडब्लू 15 ने पीडब्लू-1 के साक्षय की भी पुष्टि की।

14. 54 व्यक्तियों पर धारा 147 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

302/149 , 323/149 , 324/149 और आई. पी. सी. की 201/149 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (3) (10)। उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई और कुछ आरोपी किशोर थे। 39 अभियुक्तों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया गया। 39 अभियुक्तों में से, उनमें से तीन, इंदर के पुत्र दयराम, महाराज सिंह के पुत्र हरचंदी और यदराम के पुत्र हरि की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज होने के बाद मृत्यु हो गई। मानसिंह के पुत्र बालकिशन और 3 अभियुक्तों को छोड़कर, शेष 35 अभियुक्तों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। 15. इन 35 दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। 35 दोषियों में से उच्च न्यायालय ने दो-शिवचरण को बरी कर दिया।

मणिराम के पुत्र और मणिराम के पुत्र सिंहराम। शेष दोषियों की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। हालांकि, 8 अभियुक्तों को दी गई मौत की सजा को प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।

16. उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ, निम्नलिखित व्यक्तियों ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की है:

2018 की आपराधिक अपील संख्या 186 में

1. हरि गोविंदा के पुत्र हैं।

2. खुशी सिंह के पुत्र लाल सिंह

2018 की आपराधिक अपील संख्या 187 में

3. दया राम के बेटे करण सिंह

2018 की आपराधिक अपील संख्या 188 में

4. लाल सिंह के पुत्र चत्तर सिंह 5. भंवर सिंह के पुत्र दया राम

6. नवल के पुत्र प्रीतम

7. भांभू के पुत्र बाटो 8. भागगो का बेटा जीवन

9. नट्टी का बेटा दीपी उर्फ दीप चंद

2018 की आपराधिक अपील संख्या 189 में

10. कन्हैया हरि और ए. एन. आर. के पुत्र धर्मवीर।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

12. कल्लू के पुत्र धर्म

13. गोपी बालों का बेटा

14. गोविन्दा के पुत्र गिरराज

15. नट्टी के पुत्र मन्नी

16. काशी, भंवर सिंह के पुत्र

17. हरचंद के पुत्र धर्म

आपराधिक अपील सं। 190-192 2018 का

18. रतन सिंह के पुत्र धन्नी

19. निर्तो, भंवर सिंह का पुत्र

20. कामरक पुत्र गिरराज

25. राम सिंह, दयराम के पुत्र

26. रूपी के पुत्र रमन

27. भजिनी के पुत्र सिरो

28. मंटू के पुत्र महेंद्र

एसएलपी (सी. आर. एल.) में 2018 का सं. 1975

29. सुंदर लाल के पुत्र मंगतू

2021 की आपराधिक अपील संख्या 420 में

30. हीरालाल के पुत्र गंगा राम

उपरोक्त आपराधिक अपीलों के अलावा, राज्य द्वारा आठ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के खिलाफ 2018 की आपराधिक अपील दायर की गई है

सोनमेंट।

17. हमें अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया जाता है कि इन अपीलों के लंबित होने पर, 4 अपीलार्थी, अर्थात्, दयराम [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भंवर सिंह का पुत्र (सी. आर. एल. में अपीलार्थी 2) ए. 2018 का 188), नट्टी का बेटा दीपी उर्फ दीप चंद (सी. आर. एल. में अपीलार्थी 6)। ए. 2018 का 188), हरि ओम के पुत्र गोपी (सीआरएल में अपीलार्थी 4)। 2018 का ए. 189) और कामर के पुत्र गिरराज (सी. आर. एल. में अपीलार्थी 3)। ए. 2018 का 190-192) की मृत्यु हो गई। वर्तमान में हम 26 अपीलार्थियों से संबंधित हैं।

18. विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा दलबीर कौर बनाम में निर्धारित किए गए हैं। पंजाब राज्य 1 जो इस प्रकार है: -

8. इस प्रकार विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है -

निम्नलिखित है:

" (1) कि यह न्यायालय साक्षय के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा

यदि यह साक्षय पर एक अलग दृष्टिकोण लेता है;

(2) कि न्यायालय आम तौर पर साक्षय का पुनर्मूल्यांकन या समीक्षा नहीं करेगा, जब तक कि उच्च न्यायालय का मूल्यांकन कानून या प्रक्रिया की त्रुटि से दूषित नहीं होता है या रिकॉर्ड की त्रुटि, साक्षय के गलत पढ़ने या साक्षय के साथ असंगत नहीं होता है, उदाहरण के लिए, जहां नेत्र साक्षय चिकित्सा साक्षय के साथ पूरी तरह से असंगत है और इसी तरह; (3) कि न्यायालय अपनी राय को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से साक्षय की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं करेगा

उच्च न्यायालय;

(4) कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा जहाँ उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँच गया है,

प्राकृतिक न्याय या निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत या कानून या प्रक्रिया के अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हुआ है;

(5) यह न्यायालय वहां भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं या जहां

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं और

बिना किसी सबूत के। "

सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर उल्लिखित सिद्धांत और इस न्यायालय के अधिकारियों में उद्धृत सिद्धांत पर्याप्त प्रदान करते हैं।

1 (1976) 4 एस. सी. सी. 158 हरि और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपीलों पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय के लिए दिशानिर्देश। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा आपराधिक अपील में, यह न्यायालय सुनवाई में यह निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के साथ उच्च न्यायालय के साक्षय और निर्णय की जांच करता है कि उच्च

न्यायालय ने ऊपर बताए गए सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं। जहां न्यायालय यह पाता है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया है और एक सही दृष्टिकोण अपनाया है और अभियोजन मामले को ध्वस्त करने वाले साक्षय में हड़ताली विशेषताओं की अनदेखी या अनदेखी नहीं की है, तो मामले की परिस्थितियों में साक्षय की सराहना पर उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों को बाधित नहीं किया जाएगा।

19. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के साक्षय और निर्णय की जांच सीमित उद्देश्य के लिए की जाती है।

यह निर्धारित करने के लिए कि उच्च न्यायालय ने इसका पालन किया है या नहीं उपरोक्त सिद्धांत। यदि उच्च न्यायालय ने उक्त सिद्धांतों की कोई त्रुटि या उल्लंघन नहीं किया है और अभियोजन मामले को ध्वस्त करने वाले साक्षय की हड़ताली विशेषताओं की अनदेखी या अनदेखी नहीं की है, तो निष्कर्ष

उच्च न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों में साक्षय की सराहना पर लाए गए तथ्य को बाधित नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 एक असाधारण अधिकारिता है जिसका प्रयोग यह न्यायालय तब करता है जब वह विशेष अनुमति द्वारा किसी अपील पर विचार करता है और यह अधिकारिता, अपनी प्रकृति से, केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब यह न्यायालय संतुष्ट हो कि न्याय की गंभीर या गंभीर गर्भपात को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक है। साक्षय के मूल्यांकन में केवल त्रुटियाँ इस निरीक्षणात्मक अधिकार क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस न्यायालय की यह प्रथा नहीं है कि वह इस बात की जांच करने के उद्देश्य से साक्षय का पुनर्मूल्यांकन करे कि क्या तथ्य का निष्कर्ष उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा समवर्ती रूप से प्राप्त किया गया है।

अधीनस्थ अदालतें सही हैं या नहीं। यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां कुछ स्पष्ट अवैधता या न्याय की गंभीर और गंभीर विफलता है कि यह न्यायालय तथ्य 3 के इस तरह के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।

20. अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से साक्षय में विरोधाभासों और विसंगतियों के संबंध में तर्क के संबंध में

प्रत्यक्षदर्शी, उच्च न्यायालय ने पाया कि चार चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास और विसंगतियों का संकेत दिया गया है 2 रमणीकलाल गोकलदास बनाम। गुजरात राज्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 6 3 दुली चंद बनाम। दिल्ली प्रशासन।, (1975) 4 एससीसी 649 [2021] 10 एस. सी. आर.

वे स्वभाव से तुच्छ थे। इस न्यायालय द्वारा एमपी राज्य बनाम में निर्धारित कानून का पालन करना। रमेश, उच्च न्यायालय ने विरोधाभासों को नजरअंदाज कर दिया और

21. चार चश्मदीद गवाहों के साक्षय को उच्च न्यायालय द्वारा एक चार्ट द्वारा सारांशित किया गया था जो उसके फैसले का हिस्सा है और है निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गयाः -

" ..... चार्ट देने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने घटना को शामिल करते हुए घटनाओं को विभाजित किया है।

पाँच भागों में, इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

1. मृतक राम किशन और विजेंदर को उनके घरों से फोन करना, जिसे संक्षिप्त रूप से मेज पर 'कॉल करने के लिए' कहा जाता है। 2.
संक्षिप्त में पंचायत में भागीदारी के रूप में संदर्भित

पंचायत

3. पेड़ से लटका हुआ, संक्षेप में निष्पादन के स्थान के रूप में इंगित किया गया

और उनके विशिष्ट कार्यों द्वारा पूरक।

4. शवों को घोड़े पर खींचना और संक्षेप में 'घसीटा' शब्द द्वारा इंगित करना।

5. चिता पर रखने के बाद शवों को जलाना, कुछ समय के लिए

'आग' शब्द से संदर्भित।

4 (2011) 4 एस. सी. सी. 786

5 1964 (8) एस. सी. आर. 133 6 कौर सैन बनाम पंजाब राज्य, (1974) 3 एस. सी. सी. 649 हरि और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

श्री. नहीं। नाम

पीडब्लू 1 शांति

पीडब्लू 13

पीडब्लू 14 हुकुम पीडब्लू 15

अमी

विश्राम

चंद

में से

1 धन्नी एस/ओ रतन प्लेस

उपस्थित हैं।

निष्पादन

2 धरमवीर एस/ओ

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

कन्हैया

उपस्थित हैं।

3 शिव चरण एस/ओ

मणि राम

4 सिंहराम एस/ओ मणि

उपस्थित हैं।

राम।

5 बल्ली एस/ओ किशन लाल फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

उपस्थित हैं।

निष्पादन।

6 महेन्द्र एस/ओ

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

मंगतु

7 धरम एस/ओ कल्लू

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

8 निर्तो एस/ओ भंवर प्लेस

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

सिंह

निष्पादन। खींचा गया।

नीचे।

9 गोपी एस/ओ हरि ओम

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

10 गिरराज एस/ओ गोविंदा प्लेस

उपस्थित हैं।

निष्पादन।

11 मन्नी एस/ओ नट्टी

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

12 गिरराज पुत्र कुंवर फोन करने के लिए।

कॉल करें।

को।

उपस्थित हैं।

सिंह

उपस्थित हैं।

13 काशी एस/ओ भंवर

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

सिंह

14 छतर सिंह एस/ओ कॉल करने के लिए। करने का स्थान

उपस्थित हैं।

कॉल करें।

लाल सिंह

उपस्थित हैं।

निष्पादन।

उपस्थित हैं।

15 हर चंद एस/ओ लिली कॉल करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

को।

कॉल करें।

उपस्थित हैं।

निर्णय।

हमला।

(लाल सिंह)

नोस।

निष्पादन।

घोंघा।

निर्णय।

16 धरम

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

एस/ओ

हरचंडी

17 प्रीतम एस/ओ नवल फोन करने के लिए। करने का स्थान

कॉल करें। उपस्थित हैं।

को।

कॉल करें।

निष्पादन।

उपस्थित हैं।

प्रेजेंटनोस।

18 गंगा राम एस/ओ

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

हीरा लाल

19 हरि एस/ओ गोविंदा प्लेस

उपस्थित हैं।

निष्पादन।

20 लाल सिंह एस/ओ

उपस्थित हैं।

खुशी राम

21 मंगतू एस/ओ सुंदर फोन करने के लिए। कॉल करने का स्थान। फोन करने के लिए। फोन करने के लिए। उपस्थित हैं। निर्णय।

लाल।

निष्पादन। नोस।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

हमला।

नोस।

नोस।

निर्णय।

22 नवल एस/ओ नारायण कॉल करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

उपस्थित हैं।

को।

कॉल करें।

नोस।

उपस्थित हैं।

निर्णय।

निष्पादन। घोंघा।

फैसला

घोंघा।

23 दया राम एस/ओ फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

भंवर सिंह

नोस।

निष्पादन।

24 बाटो एस/ओ भागगू कॉल करने के लिए।

उपस्थित हैं।

घोंघा।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

नोस। आग लगा दी।

खींचा गया।

आग लगा दी।

फोन करने के लिए।

घसीटा गया।

नीचे।

25 श्री

चंद एस/ओ

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

दीप चंद

नोस।

26 दीपी (ए)

फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

नोस।

गहरा।

निष्पादन

चंद एस/ओ नट्टी [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27 जीवन एस/ओ भागगू फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान। आग लगा दी। उपस्थित हैं।

उपस्थित हैं।

नोस।

निष्पादन। खींचा गया। फोन करने के लिए।

आग लगा दी।

घसीटा गया।

नीचे।

28 तेज सिंह पुत्र किरोडी

उपस्थित हैं। आग लगा दी।

उपस्थित हैं।

29 बच्चू एस/ओ नाबली फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान। आग लगा दी।

उपस्थित हैं।

नोस।

निष्पादन। नीचे।

उपस्थित हैं।

निर्णय।

30 तुलसी राम एस/ओ

स्थान

में से

उपस्थित हैं।

भंवर सिंह

नोस।

निष्पादन।

31 कोमल एस/ओ

फोन करने के लिए। का स्थान

उपस्थित हैं। को।

फोन करने के लिए।

उपस्थित हैं।

नोस।

कॉल करें।

निष्पादन। खींचा गया।

कन्हैया

उपस्थित हैं।

हमला।

32 राम सिंह एस/ओ

उपस्थित हैं।

रस्सी।

फोन करने के लिए। वर्तमान का स्थान।

फोन करने के लिए।

दया राम

नोस। को।

उपस्थित हैं।

निष्पादन।

कॉल करें।

33 रमन एस/ओ गोपी

उपस्थित हैं।

नोस।

उपस्थित हैं।

फोन करने के लिए। का स्थान

उपस्थित हैं।

निष्पादन। खींचा गया।

लाठी प्रेरजेंट के साथ हिट करें।

34 करण एस/ओ

उपस्थित हैं।

दया राम

नोस। आग लगा दी।

फोन करने के लिए।

35 सर एस/ओ मुन्नी

उपस्थित हैं। आग लगा दी।

उपस्थित हैं।

22. पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-13, पी. डब्ल्यू.-14 और पी. डब्ल्यू.-15 जो चश्मदीद गवाह हैं, उनके साक्षय, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्षय और दस्तावेजों से

सबूतों से यह साबित होता है कि राम किशन, विजेंद्र और रोशनी को प्रताड़ित किया गया और फिर फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। इसके बाद उनके शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हमारी राय है कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय है और नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा उचित रूप से स्वीकार की गई है। सफेद तहमाद और मृतक राम किशन के कपड़ों की बरामदगी, विजेंद्र के कपड़ों की बरामदगी, हड्डियों, पसलियों, रीढ़ की हड्डी, आंतों के हिस्सों और मांस के जले हुए टुकड़ों की बरामदगी मृतक के शवों को जलाने के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन करती है। रोशनी, विजेंद्र और राम किशन की हत्या संदेह से परे स्थापित होती है। द. जो प्रश्न हमारे विचार के लिए आता है वह अपीलार्थियों का दोष है। पीडब्लू-1 शांति, पीडब्लू-13, पीडब्लू-14 और पीडब्लू-15 के चश्मदीद गवाहों के विवरण पर नीचे दिए गए न्यायालयों ने विश्वास किया। उन्होंने कहा है कि

अपीलार्थियों की भागीदारी और कुछ के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य

उनमें से। गवाहों द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को सौंपी गई भूमिका ऊपर उल्लिखित चार्ट में पाई जाती है।

23. अपीलार्थियों के अनुसार, चश्मदीद गवाह पीडब्लू-1 शांति के साक्षय पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो शत्रुतापूर्ण हो गया है।

हरि और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

इस तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय की राय थी कि पीडब्लू1 के साक्षय को केवल इस आधार पर विचार से नहीं हटाया जा सकता है कि वे प्रतिकूल हो गए हैं। पी. डब्ल्यू. 1 सहित अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों को प्रतिकूल होने के लिए प्रेरित करने वाले सम्मोहक कारणों को दर्ज करने के बाद उच्च न्यायालय ने उनकी गवाही के प्रासंगिक हिस्से पर सही ढंग से भरोसा किया।

24. पीडब्लू-1 का प्रमाण शुरू में 09.04.1992 पर दर्ज किया गया था। उन्होंने घटनाओं के क्रम और उनकी भागीदारी का वर्णन किया है

अपराध में अभियुक्त। इसके बाद, उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश के कारण, मुकदमे पर छह साल की अवधि के लिए रोक लगा दी गई। जब उसे 21.02.1998 पर अदालत में गवाही देने के लिए वापस बुलाया गया, तो वह मुकर गई। पीडब्लू-1 के शत्रुतापूर्ण होने के कारण समझ में आते हैं क्योंकि वह समाज के निचले वर्ग से आती है, जो उस जाति के प्रभुत्व वाले गाँव में रहती है जिससे आरोपी व्यक्ति संबंधित हैं। उसने घटना और अपीलार्थियों की संलिप्तता के बारे में विस्तार से गवाही दी और बाद में 11 अन्य अभियोजन गवाहों के साथ उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

25. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्षय को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उन्हें शत्रुतापूर्ण माना और उनकी जिरह की। ऐसे गवाहों के साक्षय को मिटाया हुआ या पूरी तरह से रिकॉर्ड से धोया हुआ नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे इस हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनका बयान गलत पाया जाता है। इसकी सावधानीपूर्वक जांच पर निर्भर। वास्तव में न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में इस बात पर विचार करना है कि क्या इस तरह की प्रतिपरीक्षा और विरोधाभास के परिणामस्वरूप, गवाह पूरी तरह से बदनाम है या फिर भी उसकी गवाही के एक हिस्से के संबंध में विश्वास किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश को पता चलता है कि इस प्रक्रिया में, गवाह का श्रेय पूरी तरह से हिल नहीं गया है, तो वह गवाह के साक्षय को पढ़ने और उस पर विचार करने के बाद,

समग्र रूप से, उचित सावधानी और सावधानी के साथ, अभिलेख पर अन्य साक्षय के आलोक में, गवाही के उस हिस्से को स्वीकार करें जिसे वह विश्वसनीय पाता है और उस पर कार्य करें।

26. भले ही गवाह मुकर गए हों, उनके साक्षय को स्वीकार किया जा सकता है, अगर वे स्वाभाविक और स्वतंत्र गवाह हैं और उनके पास आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का कोई कारण नहीं है। मृणाल दास

और अन्य बनाम। त्रिपुरा राज्य के इस न्यायालय ने कहा कि शत्रुतापूर्ण गवाहों के विश्वसनीय साक्षय भी आपराधिक मुकदमे में दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं।

1 राधा मोहन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2006) 2 एस. सी. सी. 450 3 सैयद अकबर बनाम। कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर 1979 एस. सी 1848 9 (2011) 9 एस. सी. सी 479 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. वर्तमान मामले में, पीडब्लू1 के साक्षय पूर्ण पाए जाते हैं

पीडब्लू13, पीडब्लू14 और पीडब्लू15 के साक्षय से पुष्टि जो हैं

28. अदालतों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी दबाव और धमकी के गवाही देने का अधिकार आज गंभीर हमले का शिकार है। अगर एक धमकियों या अन्य दबावों के कारण न्यायालयों में गवाही देने में असमर्थ, तो यह एक

गवाह या तो अदालतों में आने से बचते हैं या गवाही देने से बचते हैं ईमानदारी से। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस कारण से बनी हुई है कि राज्य ने इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए हैं, जिन्हें आमतौर पर "गवाह संरक्षण" के रूप में जाना जाता है।

29. गवाहों की सुरक्षा में राज्य की निश्चित भूमिका है।

शुरू में, कम से कम सत्ता में बैठे लोगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में, जिनके पास राजनीतिक संरक्षण है और वे बाहुबल और धन का उपयोग कर सकते हैं, ताकि मुकदमे को दूषित और पटरी से उतरने और सच्चाई को हताहत होने से रोका जा सके। अपने नागरिकों के रक्षक के रूप में, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि अदालत में मुकदमे के दौरान गवाह उन लोगों द्वारा प्रेतवाधित होने के किसी भी डर के बिना सच्चाई को सुरक्षित रूप से बयान कर सकता है जिनके खिलाफ गवाह ने गवाही दी थी। प्रत्येक राज्य का अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व और कर्तव्य है। कानून के शासन के पालन के लिए यह मौलिक आवश्यकता है। जाति, पंथ, धर्म, राजनीतिक विश्वास या विचारधारा जैसे किसी भी बाहरी कारक के कारण इस आवश्यकता से कोई विचलन नहीं हो सकता है। 1 1

10 महेंद्र चावला और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2019) 14 एस. सी. सी. 615 11 1 1 ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्य। (2006) 3 एस. सी. सी. 374 हरि और ए. एन. आर.

30. इन आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए

अदालत के समक्ष गवाही देने वाले गवाहों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई गवाह संरक्षण योजना, 2018 को इस अदालत ने महेंद्र चावला और अन्य मामलों में मंजूरी दी थी। ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। (ऊपर)। इसके बाद, अश्विन कुमार उपाध्याय बनाम। भारत संघ और एएनआर। , इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और राज्य सरकारों को गवाह संरक्षण योजना, 2018 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था।

31. वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से स्थितियों के अंतर्गत आता है

गवाहों की सुरक्षा के लिए योजना/दिशानिर्देश/कार्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। उस समय जब गवाह वर्तमान मामले में गवाही दे रहे थे, गवाह संरक्षण योजना के कार्यान्वयन ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को शत्रुतापूर्ण होने से रोक दिया होता। यदि भौतिक गवाहों को गाँव से स्थानांतरित कर दिया जाता और अदालत कक्ष में ले जाया जाता, तो वे अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देते।

32. अपीलार्थियों की ओर से अगला तर्क यह है कि सूचना देने वाले अमीचंद ने शुरू में 29.03.1991 पर केवल 35 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया था। 10 कुछ दिनों बाद, उसने 19 अन्य लोगों को फंसाया। द.

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जिन 19 व्यक्तियों को प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बाद आरोपी बनाया गया था, उन्हें विचार-विमर्श के बाद गलत तरीके से फंसाया गया है। सूचना देने वाले अमीचंद द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि जब उन्होंने 27.03.1991 पर शिकायत दी तो वह उचित मानसिक स्थिति में नहीं थे और वह अगले दस दिनों के लिए अस्पताल में थे, अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर रहे थे, जिन पर शारीरिक हमला किया गया था और उसके बाद ही वह 04.04.1992 पर बाकी अभियुक्तों के नाम दे सकते थे, नीचे की अदालतों द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया था। पीडब्लू-15 अमीचंद भागने में सफल रहे। रात भर लगभग 12 घंटे तक मृतक व्यक्तियों की लंबी यातना देखने के बाद गाँव की अच्छी तरह से संरक्षित सीमाएँ और शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचीं। वह एक गंभीर अपराध को देखने के आघात के कारण शामिल लोगों के सभी नामों का उल्लेख नहीं कर पाए होंगे, जिसके परिणामस्वरूप उनके भतीजे और दो अन्य व्यक्तियों की हत्या हो गई थी।

33. अपीलकर्ताओं ने कहा कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विरोधाभासों और विसंगतियों से ग्रस्त है और खारिज किए जाने के योग्य है। हमने पीडब्लू-1, पीडब्लू-13, पीडब्लू-14 और पीडब्लू-15 के साक्षय की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम नीचे दिए गए न्यायालयों से सहमत हैं।

कि चारों गवाह विश्वसनीय हैं और उनके साक्षय में विसंगतियां और विरोधाभास तुच्छ हैं। यह भयानक अपराध चार अलग-अलग स्थानों पर 12 घंटे से अधिक की लंबी अवधि तक किया गया था। गवाहों के बयान में विसंगतियां स्वाभाविक हैं, खासकर जब बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं।

34. अपीलार्थियों की विद्वान वकील सुश्री अमिता गुप्ता ने तर्क दिया

कि कुछ अपीलार्थियों को अपराध करने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं सौंपी गई है और गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के लिए उनकी दोषसिद्धि अस्थिर है। उन्होंने कहा कि वे केवल दर्शक या स्टैंडर्स हैं और उन्हें गैरकानूनी सभा के सदस्य नहीं कहा जा सकता है। 35. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए कार्यों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए जो गैरकानूनी सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाएंगे, गैरकानूनी सभा के सदस्यों के प्रत्यावर्ती दायित्व की घोषणा करती है। यदि एक गैरकानूनी सभा का गठन अपराध करने के सामान्य उद्देश्य के साथ किया जाता है, और यदि वह अपराध गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, तो सभा के सभी सदस्य उस अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे, भले ही एक या अधिक, लेकिन सभी ने अपराध नहीं किया हो। पुनः, यदि कोई अपराध किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा किया जाता है और वह अपराध वह है जिसे गैरकानूनी सभा के सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में जानते हैं, तो प्रत्येक

36. सामान्य उद्देश्य सामान्य इरादे से अलग है क्योंकि इसके लिए एक पूर्व संगीत कार्यक्रम और मन की एक सामान्य बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। हमला करते हैं। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु हो और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संयोजन के रूप में कार्य करें। एक सभा का सामान्य उद्देश्य इसकी रचना करने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से पता लगाया जाना है, और निम्नलिखित पर विचार करना है -

1 3 शंभू नाथ सिंह बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725 14 1 4 लालजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एस. सी. सी. 437 हरि और ए. एन. आर.

ई आसपास की परिस्थितियाँ। इसे सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए मार्ग से एकत्र किया जा सकता है।

37. कट्टुकुलंगरा माधवन (मृत) में एल. आर. के माध्यम से। वी.

एड और Ors.16, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

" 23. सबसे पहले, एक गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में एक आरोपी की उपस्थिति, जब एक जिज्ञासु दर्शक या दर्शक के रूप में नहीं, सभा के उद्देश्य में उसकी भागीदारी का सुझाव देती है। जब अभियोजन पक्ष ऐसी उपस्थिति स्थापित करता है, तो यह अभियुक्त का आचरण है जो यह निर्धारित करेगा कि क्या वह सभा के उद्देश्य को पूरा करने के इरादे से गैरकानूनी सभा में भाग लेता रहा, या नहीं। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि एक अभियुक्त का सभा के उद्देश्य में भाग लेने का कोई इरादा नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि सभा का उद्देश्य किसी की हत्या करना है, तो यह संभव है कि अभियुक्त को सभा के एक विशेष सदस्य के रूप में अन्य सदस्यों के इरादे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसका उद्देश्य हत्या करना था, जब तक कि निश्चित रूप से इसके विपरीत साक्षय इस तरह से नहीं दिखाता है।

ज्ञान। लेकिन दूसरों के साथ भाग लेने और जाने के बाद, इस तरह के अभियुक्त के आचरण से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या दोषारोपण या दंडात्मक है। ऐसे अभियुक्त के आचरण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

1. वह कौन सा समय था जब उन्हें पता चला कि

सभा का उद्देश्य पीड़ित को मारना था? 2. यह पता चलने के बाद, क्या उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास किया?

ऑब्जेक्ट का पीछा करने से असेंबली?

3. अगर उसने किया, और असफल रहा, तो क्या उसने खुद को अलग कर लिया

दूर जाकर सभा करना?

इन प्रश्नों का उत्तर यह निर्धारित करेगा कि क्या किसी अभियुक्त ने सभा में समान उद्देश्य साझा किया था। बिना इस सबूत के कि अभियुक्त को सभा के गैरकानूनी उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या बिना इस सबूत के कि जानकारी प्राप्त करने के बाद, उसने सभा को गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करने से रोकने का प्रयास किया, और बिना इस सबूत के कि ऐसा करने में विफल रहने के बाद, अभियुक्त ने सभा से खुद को अलग कर लिया, केवल सभा में एक अभियुक्त की भागीदारी थी।

इस तरह की सभा निंदनीय होगी।

एक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 4 एस. सी. सी. 205

38. तीनों मृतकों की दर्दनाक यातना जो 26.03.1991 पर रात 9 बजे शुरू हुई और अगले दिन सुबह 9 बजे तक जारी रही।

27.03.1991 पंचायत में अपीलार्थियों की भागीदारी से, चश्मदीद गवाहों की गवाही से साबित हुआ। कुछ अपीलकर्ताओं-बल्ली, गिरराज, चत्तर सिंह, प्रीतम, मंगतू, जीवन, बच्चू, कमल, राम सिंह, रमन को मृतक को अपने घरों से मंगतू की पंचायत में घसीटने के लिए; अपीलकर्ता करण सिंह, राम सिंह को मृतक और उनके परिवार के सदस्यों पर शारीरिक हमला करने के लिए; अपीलकर्ता बच्चू, कमल, रमन, मंगतू को मृतक के माता-पिता को फांसी देने के लिए मजबूर करने के लिए; अपीलकर्ता निर्तो, गिरराज, प्रीतम, मंगतू, नवल, बाटो, जीवन, बच्चू, कमल, राम सिंह, श्रीचंद को मृतक की फांसी में शामिल होने के लिए विशिष्ट खुले कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

अपीलकर्ता बाटो, जीवन, मृतक के शवों को घसीटने के लिए

श्मशान घाट और अपीलकर्ता बाटो, जीवन, बच्चू, करण सिंह, सिरो को श्मशान घाट में मृतकों के शवों में आग लगाने के लिए। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए, हम संतुष्ट हैं कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से धारा 302 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में कोई त्रुटि नहीं की। यहां तक कि उन लोगों के संबंध में भी जिन्हें कोई सक्रिय भूमिका या स्पष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे मृतक को दंडित करने और उन्हें मारने के लिए सामान्य उद्देश्य साझा करते थे। बिना किसी विरोध के लगभग 12 घंटे तक पंचायत में उनकी लगातार उपस्थिति या हिंसा को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास से अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन होगा कि सभी अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था।

39. दो युवक और एक महिला के साथ शारीरिक हमला किया गया

लगभग 12 घंटे और जाति-ग्रस्त सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अभियुक्त द्वारा हत्या कर दी गई। देश में जाति-प्रेरित हिंसा की ये घटनाएँ

यह इस तथ्य को दर्शाता है कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद का सफाया नहीं हुआ है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, अंतरजातीय विवाह जातिवाद से छुटकारा पाने का एक उपाय है।

समानता। समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दमित वर्गों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए उनकी दृष्टि में अच्छी तरह से निहित है

संविधान की प्रस्तावना। ऐसी जाति आधारित प्रथाओं द्वारा कायम कट्टरता जो आज भी प्रचलित है, अपने सभी नागरिकों के लिए समानता के संविधान के इस उद्देश्य को बाधित करती है। द्वारा विवाह का प्रस्ताव जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रोशनी और जाटव विजेंद्र की वजह से उनकी मौत हुई है। हालाँकि यह संख्या थोड़ी कम है, लेकिन इस देश में ऑनर किलिंग बंद नहीं हुई है और यह सही समय है कि नागरिक समाज एच. ए. आर. आई. और ए. एन. आर. के भयानक अपराधों के बारे में कड़ी अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया करे।

पंचायतदारों या जाति के बुजुर्गों को ऐसे युवा जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जिनके विवाह की कानून द्वारा अनुमति है और वे ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते हैं जिससे ऐसे जोड़ों को संबंधित गांव/इलाके में शत्रुतापूर्ण वातावरण में रखा जाए और सुरक्षा के जोखिम का सामना करना पड़े। विधि आयोग ने आगे सिफारिश की कि सभा ही किसी गैरकानूनी उद्देश्य के लिए की जाए। विवाह को अस्वीकार करना जो अन्यथा कानून की सीमा के भीतर है और परिणामी कार्रवाई करना एक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि इसमें विवाह को खतरे में डालने की क्षमता है। संबंधित व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रताएँ।

40. शक्ति वाहिनी बनाम में। भारत संघ और Ors.[1]8 18, इस न्यायालय ने भारत संघ और राज्य सरकारों को ऑनर क्राइम से निपटने के लिए निवारक कदम उठाने, उक्त प्रकृति के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना और राज्य कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राज्य

सरकारों को प्रत्येक जिले में विशेष प्रकोष्ठों का गठन करने का निर्देश दिया गया था जिनसे जोड़े अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए संपर्क कर सकते थे। इस न्यायालय ने निवारक कदमों, उपचारात्मक उपायों और दंडात्मक उपायों का सुझाव दिया: -

" 55.1 . एहतियाती कदम

55.1. 1 . राज्य सरकारों को तुरंत पहचान करनी चाहिए जिले, उप-मंडल और/या गाँव जहाँ हाल के दिनों में सम्मान के लिए हत्या या खाप पंचायतों की सभा के मामले सामने आए हैं, उदाहरण के लिए, पिछले पाँच वर्षों में।

17 (2011) 6 एस. सी. सी. 405

18 (2018) 7 एससीसी 192 [2021] 10 एस. सी. आर.

55.1. 2 . संबंधित राज्यों के गृह विभाग के सचिव राज्यों को निर्देश/सलाह जारी करेंगे।

संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक

यह सुनिश्चित करना कि चिन्हित क्षेत्रों के पुलिस थानों का प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त सतर्क रहे यदि उनके अधिकार क्षेत्र में अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह का कोई मामला उनके संज्ञान में आता है।

55.1. 3 . यदि खाप पंचायत की किसी प्रस्तावित सभा की जानकारी किसी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में आती है या जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी को, वह तुरंत अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगा और साथ ही साथ अधिकार क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा।

55.2 उपचारात्मक उपाय

55.2. 1 . राज्य पुलिस द्वारा किए गए निवारक उपायों के बावजूद, यदि स्थानीय पुलिस के ध्यान में आता है कि खाप पंचायत हुई है और उसने अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक विवाह (या कोई अन्य विवाह जो उनकी स्वीकृति को पूरा नहीं करता है) के जोड़े/परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आदेश पारित किया है, तो क्षेत्राधिकार वाला पुलिस अधिकारी तुरंत दंड संहिता के उचित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराएगा, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 141,143,503 के साथ पठित धारा 506 शामिल है।

55.2. 2 . एफ. आई. आर. दर्ज होने पर, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक को एक साथ सूचना दी जाएगी, जो बदले में, यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध की प्रभावी जांच की जाए और उसे अपराध स्थल पर ले जाया जाए। शीघ्रता के साथ तार्किक अंत।

55.2. 3 . इसके अतिरिक्त, दंपति/परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले के भीतर या कहीं और एक सुरक्षित घर में ले जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सुरक्षित घर स्थापित करने पर विचार कर सकती है। इस तरह

सुरक्षित घर इन सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं: (i) युवा अविवाहित-अविवाहित जोड़े जिनके रिश्ते का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जा रहा है, और हरि और एएनआर।

((ii) युवा विवाहित जोड़े (अंतर-जाति या अंतर-धार्मिक या किसी अन्य विवाह का उनके परिवारों/स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाना)।

समुदाय/खाप)।

ऐसे सुरक्षित घरों को क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन के अधीक्षक की देखरेख में रखा जा सकता है।

पुलिस।

55.2. 4 . जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को ऐसे जोड़े/परिवार को दी गई धमकी के संबंध में शिकायत से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए। यह पहले होना चाहिए यह पता लगाएँ कि क्या स्नातक-स्नातक सक्षम हैं

वयस्क। इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें अपनी शादी को संपन्न करने और/या यदि वे चाहें तो पुलिस सुरक्षा के तहत विधिवत पंजीकृत होने के लिए रसद सहायता प्रदान की जा सकती है। विवाह के बाद, यदि दंपति चाहते हैं, तो उन्हें प्रदान किया जा सकता है

सेफ हाउस में मामूली शुल्क के भुगतान पर आवास शुरू में एक महीने की अवधि के लिए मासिक आधार पर बढ़ाया जाएगा लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

मामला-दर-मामला आधार पर उनके खतरे के मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

55.2. 5 . दंपति (कुंवारा-अविवाहित या एक युवा विवाहित जोड़ा) से प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रारंभिक जांच या एक स्वतंत्र स्रोत से जानकारी प्राप्त करने पर कि ऐसे जोड़े का संबंध/विवाह है

उनके परिवार के सदस्यों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट/अधीक्षक द्वारा सौंपा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी को पुलिस। वह प्रारंभिक जांच करेगा और खतरे की धारणा की प्रामाणिकता, प्रकृति और गंभीरता का पता लगाएगा। इस तरह की धमकियों की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने पर, वह तुरंत एक सप्ताह के भीतर पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

55.2. 6 . जिला पुलिस अधीक्षक, प्राप्ति पर

ऐसी रिपोर्ट के लिए, उप अधीक्षक को निर्देश दिया जाएगा

संबंधित उप-विभाग के प्रभारी पुलिस दंपति को धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएगी और यदि आवश्यक हो तो धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता लागू करेगी इसके अतिरिक्त, पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जांच की प्रगति की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह [2021] 10 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूरा किया और शीघ्रता के साथ अपने तार्किक अंत तक ले जाया गया। जाँच के दौरान, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ बिना किसी अपवाद के मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने सभा में भाग लिया है। यदि खाप पंचायत के सदस्यों की संलिप्तता सामने आती है, तो उन पर साजिश या उकसाने के अपराध का भी आरोप लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

55.3. 1 . पुलिस या जिला अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कोई विफलता होगी जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाता है और/या

कदाचार जिसके लिए सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी और पहली बार के प्राधिकरण द्वारा इसके तार्किक अंत तक, अधिमानतः छह महीने से अधिक नहीं, ले जाया जाएगा। 55.3. 2 . अरुमुगम सर्वई [अरुमुगम सर्वई बनाम में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में। टी. एन. राज्य, (2011) 6 एस. सी. सी. 405: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 993], राज्यों को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है यदि ऐसा होता है।

पता चला किः

(i) ऐसे अधिकारियों ने घटना की पूर्व जानकारी होने के बावजूद इसे नहीं रोका, या

((ii) जहां घटना पहले ही हो चुकी थी, ऐसे अधिकारियों ने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की।

55.3. 3 . अंतरजातीय विवाह के जोड़ों के उत्पीड़न और धमकी की याचिकाओं/शिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में विशेष प्रकोष्ठ बनाएंगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला आदि-द्रविड़ कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।

55.3. 4 . ये विशेष प्रकोष्ठ ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने और दर्ज करने और दंपति को आवश्यक सहायता/सलाह और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 घंटे की एक हेल्प लाइन बनाएँगे।

55.3. 5 . ऑनर किलिंग से संबंधित आपराधिक मामले या

दंपति (ओं) के प्रति हिंसा का मुकदमा उस उद्देश्य के लिए निर्धारित निर्दिष्ट अदालत/त्वरित अदालत के समक्ष चलाया जाएगा।

मुकदमा हरि और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से छह महीने के भीतर दिन-प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यह निर्देश लंबित मामलों पर भी लागू होगा। संबंधित जिला न्यायाधीश जहाँ तक संभव
हो, उन मामलों को एक क्षेत्राधिकार को सौंपें

न्यायालय ताकि इसका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

41. अपनी 242 वीं रिपोर्ट में विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, राजस्थान राज्य ने उसी तर्ज पर सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक गठबंधन की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 के साथ

हस्तक्षेप का राजस्थान निषेध अधिनियमित किया है। अपने जीवन साथी को चुनने में युवा पुरुषों और महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा के हित में और समाज में शांति, शांति और समानता के हित में, यह तत्काल आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा शक्ति वाहिनी बनाम में जारी किए गए निर्देश। भारत संघ और ओआरएस। (ऊपर)

राज्य सरकारों द्वारा भी बिना किसी और देरी के इसे पूरा किया जाना चाहिए। 42. यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में, नस्लीय और धार्मिक रूप से प्रेरित अपराधों को बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तेजक कारकों के रूप में माना जाता है।

आपराधिक न्याय अधिनियम, 2003 (यू. के.) की धारा 145 में प्रावधान है कि न्यायालय को एक ऐसे अपराध को एक उत्तेजक कारक के रूप में मानना चाहिए जो नस्लीय या धार्मिक रूप से भड़का हुआ था। कनाडा में, सजा सुनाते समय न्यायालय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं: -

" सजा सुनाने के अन्य सिद्धांत

718.2 सजा सुनाने वाली अदालत भी इस पर विचार करेगी।

निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें:
(क) अपराध या अपराधी से संबंधित किसी भी प्रासंगिक उत्तेजक या कम करने वाली परिस्थितियों के लिए सजा को बढ़ाया या कम किया जाना चाहिए, और, अपराध को सीमित किए बिना।

पूर्वगामी की व्यापकता,

((i) इस बात का प्रमाण कि अपराध जाति, राष्ट्रीय या जातीय मूल, भाषा के आधार पर पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह या घृणा से प्रेरित था।

रंग, धार्मिक, लिंग, आयु, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, यौन अभिविन्यास, या लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, या किसी अन्य पर समान कारक,

((ii) (vi)
गंभीर परिस्थितियाँ मानी जाएंगी; "[2021] 10 एस. सी. आर.

43. हालाँकि नस्लीय/धार्मिक रूप से प्रेरित कार्यों को किसी अपराध के लिए दंड बढ़ाने के लिए एक उत्तेजक परिस्थिति के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन इस सिद्धांत को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से मान्यता दी गई है जैसा कि विस्कॉन्सिन v में माना गया है। मिचेल "। उस

मामले में, मिशेल को केनोशा काउंटी, विस्कॉन्सिन के सर्किट कोर्ट द्वारा गंभीर बैटरी के लिए दोषी ठहराया गया था और चार साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी जब अपराध के लिए अधिकतम सजा दो साल थी। बढ़ी हुई सजा विस्कॉन्सिन की घृणा अपराध प्रतिमाओं पर आधारित थी जिसमें लंबी अधिकतम सजा का प्रावधान था। बढ़ी हुई सजा को विस्कॉन्सिन कोर्ट ऑफ अपील्स द्वारा बरकरार रखा गया था जिसे विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उलट दिया गया था। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने विस्कॉन्सिन सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया और कहा कि मिशेल की प्रथम संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकारों का उल्लंघन दंड-वृद्धि सजा के प्रावधान के आवेदन से नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ब्लैकस्टोन का उल्लेख किया जिन्होंने कहा, "यह तर्कसंगत है कि विभिन्न प्रकृति के अपराधों में से उन लोगों को सबसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जो सार्वजनिक सुरक्षा और खुशी के लिए सबसे विनाशकारी हैं। 99

44. भारत में आपराधिक संहिता की धारा 354 (3) के अनुसार विशेष कारणों को दर्ज करने के बाद ही मौत की सजा दी जा सकती है।

प्रक्रिया, 1973। बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य ", इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विशेष कारणों के अस्तित्व या अनुपस्थिति का पता लगाते हुए, न्यायालय को अपराध और अपराधी दोनों को उचित सम्मान देना चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उत्तेजक और कम करने वाले कारकों को सापेक्ष महत्व दिया जाना चाहिए। डॉ. चिताले के सुझावों को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित कारकों को बिगड़ती परिस्थितियों के संकेतक के रूप में माना: -

" 202. यू. एस. ए. में राज्यों के दंडात्मक कानूनों पर ड्राइंग।

फुरमान बनाम के बाद तैयार किया गया। जॉर्जिया [33 एल एड 2 डी 346: 408 अमेरिका

238 (1972)] , सामान्य रूप से, और दंड संहिता, 1860 (संशोधन) विधेयक के खंड 2 (ए), (बी), (सी) और (डी) द्वारा 1978 में पारित

राज्य सभा, विशेष रूप से, डॉ. चिताले ने ये सुझाव दिए हैं

" बिगड़ती परिस्थितियाँ ": " बिगड़ती परिस्थितियाँ: हालांकि, एक अदालत में

निम्नलिखित मामलों में मृत्युदंड अपने विवेकाधिकार पर लगाया जाता है:

19 [508 यू. एस. 476 (1993)] 20 (1980) 2 एस. सी. सी. 684 हरि और ए. एन. आर.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य [एल. नागेश्वर राव, जे.]

(क) यदि हत्या पूर्व योजना के बाद की गई है।

और इसमें अत्यधिक क्रूरता शामिल है; या

((ख) यदि हत्या में असाधारण भ्रष्टता शामिल है; या (ग) यदि हत्या संघ के किसी सशस्त्र बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के सदस्य या किसी सार्वजनिक व्यक्ति की है।

सेवक और प्रतिबद्ध था

((i) जबकि ऐसा सदस्य या लोक सेवक कर्तव्य पर था; या

((ii) कुछ भी किए जाने या करने का प्रयास करने के परिणामस्वरूप

ऐसे सदस्य या लोक सेवक द्वारा ऐसे सदस्य या लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में, चाहे हत्या के समय वह ऐसा सदस्य या लोक सेवक था, जैसा भी मामला हो, या ऐसा सदस्य या लोक सेवक होना बंद कर दिया था;

या (घ) यदि हत्या किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में कार्य किया था, या जिसने किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की थी।

मजिस्ट्रेट या एक पुलिस अधिकारी जो उसकी सहायता की मांग करता है या उक्त संहिता की धारा 37 और धारा 129 के तहत उसकी सहायता की आवश्यकता होती है।

45. इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक विवेकाधिकार को एक विस्तृत गणना करने का प्रयास करके संशोधित नहीं किया जा रहा था। में।

हाय सिंह बनाम। पंजाब राज्य "1 इस न्यायालय ने मृत्यु अधिरोपित करने के लिए न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले कारकों का सारांश दिया।यहाँ से: -

I. हत्या करने का तरीका

33. जब हत्या अत्यंत क्रूरता से की जाती है,

विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो। उदाहरण के लिए,

((i) जब पीड़ित के घर में उसे जिंदा भूनने के लिए आग लगा दी जाए।

((ii) जब पीड़ित को यातना के अमानवीय कृत्यों के अधीन किया जाता है या

उसकी मौत के लिए क्रूरता।

((iii) जब पीड़ित के शरीर को टुकड़ों में काटा जाता है या उसके शरीर को भद्दे तरीके से विखंडित किया जाता है।

II. हत्या करने का कारण

34. जब हत्या एक ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब (क) कोई भाड़े का हत्यारा धन या इनाम के लिए हत्या करता है (ख) जानबूझकर हत्या की जाती है ताकि संपत्ति विरासत में मिल सके या किसी वार्ड या हत्यारे के नियंत्रण में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके या जिसे हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है, या (ग) मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए हत्या की जाती है।

III. अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति

35. (क) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, बल्कि उन परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए जब इस तरह का अपराध ऐसे व्यक्तियों को आतंकित करने और उन्हें किसी स्थान से भागने के लिए डराने के लिए किया जाता है।

अतीत के अन्यायों को उलटने और सामाजिक संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य से उन्हें प्रदान की गई भूमि या लाभों से वंचित करने या उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश।

(ख) "दुल्हन को जलाने" और जिसे "दहेज मृत्यु" के रूप में जाना जाता है या जब एक बार फिर से दहेज निकालने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए हत्या की जाती है।

IV. अपराध की व्यापकता

36. जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जब एक परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में व्यक्तियों की कई हत्याएं की जाती हैं।

V. हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व

37. जब हत्या का शिकार (क) एक निर्दोष बच्चा होता है जो कोई बहाना भी नहीं दे सकता था या नहीं दे सकता था, तो बहुत कुछ।

कम उकसावे के लिए, हत्या के लिए (बी) एक असहाय महिला या वृद्धावस्था या दुर्बलता से असहाय व्यक्ति (सी) जब एचएआरआई और एएनआर।

आम तौर पर समुदाय द्वारा प्यार और सम्मान किया जाता है उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ और हत्या के लिए प्रतिबद्ध है

व्यक्तिगत कारणों के अलावा राजनीतिक या इसी तरह के कारण।

47. अपीलार्थी तेज सिंह पुत्र करोड़ी, कमल पुत्र कन्याया, सिरो पुत्र भंजी, बच्चू पुत्र नवाली, राम सिंह पुत्र दयराम, रमन पुत्र रूपी और करण पुत्र दयराम को मुकदमे द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। बर्बर तरीके से तीन युवाओं की नृशंस हत्या करने के लिए अदालत। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त अपीलार्थियों की मौत की सजा को उनकी अंतिम सांस तक आजीवन कारावास में बदल दिया। उपरोक्त अपीलार्थियों की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारण कुछ अपीलार्थियों की अग्रिम आयु, अपराध करने के बाद लंबे समय तक गुजरने और मानसिक पीड़ाएं हैं जिनसे वे गुजरे हैं। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम फैसले को बरकरार रखते हैं।

जहाँ तक अभियुक्त तेज सिंह पुत्र करोडी, कमल पुत्र के संबंध में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का संबंध है, उच्च न्यायालय का कान्यैया, सिरो स/ओ भंजी, बच्चू स/ओ नवाली, राम सिंह स/ओ दयराम, रमन स/ओ रूपी और करण स/ओ दयराम। आपराधिक अपील सं।

1553-1556 इसलिए, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर 2018 के अधिनियम को खारिज कर दिया जाता है।

48. जहां तक गोविंदा के पुत्र अपीलार्थी हरि का संबंध है, उनके नाम का उल्लेख पीडब्लू-13 द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपदस्थ किया कि वह पंचायत में मौजूद थे। पीडब्लू-1 और पीडब्लू-15 ने हरि राम के नाम का उल्लेख किया, जो भी यदराम के बेटे हरिराम नाम के अभियुक्तों में से एक है। उच्च न्यायालय ने मसाल्ती के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव का पालन किया और कहा कि आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि केवल उस मामले में हो सकती है जिसमें कम से कम दो गवाह व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में बात करते हैं। गोविंदा के पुत्र हरि की उपस्थिति के संबंध में, जिसका उल्लेख केवल पीडब्लू-13 द्वारा किया गया था, हमारा विचार है कि वह बरी होने का हकदार है। पीडब्लू-13 ने यह भी अपदस्थ कर दिया कि खुशी का पुत्र लाल सिंह भी पंचायत में मौजूद था। पीडब्लू-1 ने अदालत में गवाही दी कि एक लाल लाठी लेकर उसके दरवाजे पर आया था। पीडब्लू-15 ने पंचायत में लाला की उपस्थिति का भी उल्लेख किया। लाल सिंह के अलावा, एक लाला [2021] 10 एस. सी. आर.

रामजी लाल का बेटा भी अभियुक्तों में से एक था। केवल एक गवाह के रूप में

49. एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं। एक इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता है जो गोविंदा का पुत्र गिरराज है और दूसरा कामर का पुत्र गिरराज है जिसका मृत्यु इस मामले के लंबित रहने के दौरान हो गया था। इस न्यायालय में कार्यवाही। चश्मदीद गवाहों ने अपने पिता का नाम बताए बिना गिरराज के नाम का उल्लेख किया। ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें कामर के पुत्र गिरराज या गोविंदा के पुत्र गिरराज शामिल थे या नहीं। ऐसी परिस्थितियों में, अपराध के दौरान अपनी पहचान और उपस्थिति में भ्रम को देखते हुए गोविंदा के पुत्र अपीलार्थी गिरराज संदेह के लाभ के हकदार हैं। उपरोक्त कारणों से, गोविंदा के पुत्र हरि (सी. आर. एल. में अपीलार्थी संख्या 1)। 2018 का ए. नं. 186), खुशी सिंह के पुत्र लाल सिंह (सी. आर. एल. में अपीलार्थी नं. 2)। 2018 का ए. नंबर 186) और गिरराज

गोविंदा का पुत्र (सी. आर. एल. में अपीलार्थी संख्या 5)। 2018 की ए. संख्या 189) को बरी कर दिया गया है।

50. उपरोक्त कारणों से, हम निर्णय को बरकरार रखते हैं

उच्च न्यायालय और धन्नी पुत्र रतन सिंह, नाइट्रो पुत्र भंवर सिंह नाम के अभियुक्त पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करता है,

श्रीचंद पुत्र दीप चंद, तेज सिंह पुत्र करोड़ी, बच्चू पुत्र नाबाली, कमल पुत्र कन्हैया, राम सिंह पुत्र दयराम, रमन पुत्र रूपी, सिरो पुत्र भजनी, महेंद्र पुत्र मंगतू, चत्तर सिंह पुत्र लीले, पीतम पुत्र नवल, बाटो पुत्र भागगो, जीवन पुत्र भागगो, करण सिंह पुत्र दयराम, मंगतू पुत्र सुंदर लाल, गंगा राम पुत्र हीरालाल, धर्मवीर पुत्र कन्हैया, बल्ली पुत्र किशन लाल, धरम पुत्र कल्लू, मन्नी पुत्र। अभियुक्त अर्थात् हरि पुत्र गोविंदा, लाल सिंह पुत्र खुशी राम और गिरिराज पुत्र गोविंदा को उनकी पहचान में अस्पष्टता को देखते हुए बरी कर दिया जाता है।

51. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपराधिक अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन